निजी निवेशक सुधारेंगे स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार देगी प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों में निजी निवेश से सुपर स्पेशियेलिटी चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराए जाने की तैयारी है। जिला मुख्यालयों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अस्पताल खोलने वाले निवेशकों को सरकार कई तरह के प्रोत्साहन देगी। निवेशकों को इन अस्पतालों में सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। मुख्यमंत्री की इस महात्वाकांक्षी योजना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस नई योजना के तहत विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

नई स्वास्थ्य नीति को तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसके तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में निजी निवेशक को यूपी के 75 जिला मुख्यालयों को छोड़ कर किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम 100 बेड का अस्पताल बनाना होगा। नया अस्पताल बनाने के लिए निजी निवेशक को अपनी जमीन का इस्तेमाल करना होगा। सरकार भूमि की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट देगी। वहीं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्र को स्वामित्व हस्तांतरण या पट्टा समझौता के माध्यम से कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी मौजूदा भवन, चालू हालत के अस्पताल या बंद पड़े अस्पताल का स्वामित्व लेना होगा। उसे न्यूनतम 100 बेड वाला अस्पताल बनाना होगा। इसमें लीज या समझौता पत्र की स्टांप ड्यूटी पर 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत कई विभागों के समन्वय से कार्रवाई होनी है। इसलिए विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा।